

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

बुलेटिन संख्या-07/2021

संख्या : 950/वि0स0/संसदीय/139(सं)/2019

लखनऊ, दिनांक 07 अक्टूबर, 2021

उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियमावली, 1987 के नियम-9 के उप नियम-(3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्यों की जानकारी हेतु निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है :-

श्री राम गोविन्द चौधरी, नेता, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के विचारार्थ श्री नितिन अग्रवाल (निर्वाचन क्षेत्र सं0-156-हरदोई, जनपद-हरदोई), सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध दिनांक 11 नवम्बर, 2019 को दी गई याचिका पर याची तथा प्रतिपक्षी द्वारा प्रदत्त किये गये दस्तावेजी अभिलेखों एवं साक्ष्यों के परिशीलन के उपरान्त मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अपने आदेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 द्वारा उक्त याचिका को निरस्त कर दिया गया है।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 950 (1-14)/वि0स0/संसदीय/139(सं)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के निजी सचिव को मा0 अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 2-मा0 नेता, विरोधी दल के निजी सचिव को मा0 नेता, विरोधी दल की सूचनार्थ,
- 3-समस्त मा0 सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- 4-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- 5-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य/विधायी विभाग,
- 6-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,
- 7-सचिव, भारत सरकार, डिपार्टमेन्ट ऑफ पार्लियामेन्टरी अफेयर्स, 86, पार्लियामेन्ट हाउस, नई दिल्ली,
- 8-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 9-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 10-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
- 11-महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली,
- 12-महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली,
- 13-विधान सभा सचिवालय के समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण,
- 14-श्री नितिन अग्रवाल, बी-988, से0-ए, महानगर, लखनऊ।

अरविन्द पाठक,
संयुक्त सचिव।